संख्या-5511/41-353/82

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा, वाराणसी, लखनऊ, देहरादून,
नैनीताल, इलाहाबाद तथा गोरखपुर।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 1981

विषय:- होटलों पर सुख साधन कर के विषय में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश करारोपण तथा भू-राजस्व विधि (अधिनियम), 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, 1975) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश होटलों में सुख-साधन कर नियमावली 1975 बनाई गई जो उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त 1975 से प्रवृत्त हुई। इस नियमावली के नियम 6(1) के अन्तर्गत आपको अधिनियम के प्रयोगार्थ कर निर्धारण अधिकारी घोषित किया गया है और इसके साथ नियम 2(1)(ख) में यह परिभाषित किया गया है कि आपकी ओर से इस नियमावली के अधीन किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिए आप द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी भी जो प्रथम वर्ग के सहायक कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, कर निर्धारण अधिकारी माना जायेगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि सुख-साधन कर के निर्धारण की जिम्मेदारी आप पर एवं उसके संग्रहण तथा विप्रेषण का उत्तरदायित्व आपके कार्यालय पर रहता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुख-साधन कर से प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि की सम्भावना प्रतीत होती है, शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि एक वर्ष के लिए दिनांक 1 जनवरी 1982 से दिसम्बर 31, 1982 के लिए निम्नलिखित नगरों में उनके सामने इंगित पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके प्राधिकृत करने के उपरान्त सुख-साधन कर संग्रहण तथा विप्रेषण का कार्य आपकी देख-रेख एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय की सहायता से पूर्व व्यवस्था के अनुसार किया जाये।

......2

क्र0सं0	नगर का नाम	सुख-साधन कर से सम्बद्ध किये जाने वाले अधिकारियों के पद नाम
1–	आगरा	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा
2–	वाराणसी	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी
3–	लखनऊ	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
4–	देहरादून	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, देहरादून सहायक निदेशक पर्यटन, मंसूरी।
5–	नैनीताल	सहायक निदेशक पर्यटन, नैनीताल
6–	इलाहाबाद	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, इलाहाबाद
7–	गोरखपुर	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर

इस कार्य के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों को कोई अतिरिक्त स्टाफ अथवा पारिश्रमिक देय न होगा ।

3– आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में तत्काल व्यवस्था कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन के पर्यटन विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/– त्रिभुवन प्रसाद
मुख्य सचिव।

संख्या–5511 ॥ 1 ॥/41–353/82 तद्दिनांक

1– प्रतिलिपि पर्यटन निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे सम्बन्धित सहायक निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दें ।

2– प्रतिलिपि सहायक निदेशक पर्यटन, नैनीताल/मंसूरी/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी आगरा, वाराणसी, लखनऊ, देहरादून, इलाहाबाद तथा गोरखपुर को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3– प्रतिलिपि, आयुक्त, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, गढ़वाल, नैनीताल इलाहाबाद तथा गोरखपुर मंडल को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
ह0/– धर्मदास
अनुसचिव ।